न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
11/2020	111, 128 LRA	21.07.2020	21.01.2022

हनुमानाराम पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी रिबिया तहसील वा जिला चूरू

—प्रार्थी—

बनाम

1. रामलाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी रिबिया तहसील वा जिला चूरू
2. रजीराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी रिबिया तहसील वा जिला चूरू
3. सहीराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी रिबिया तहसील वा जिला चूरू
4. हरिराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी रिबिया तहसील वा जिला चूरू
5. रेवन्ताराम पुत्र बागाराम जाति जाट निवासी रिबिया तहसील वा जिला चूरू
6. चिमनाराम पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी रिबिया तहसील वा जिला चूरू
7. आशाराम पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी रिबिया तहसील वा जिला चूरू
8. तहसीलदार साहब, चूरू

—अप्रार्थीगण—

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—
1. अधिवक्ता श्री ऋषिराजसिंह शेखावत प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री ललित गौतम अप्रार्थी सं. 1 से 4 अनुपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 का न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खेत खसरा नं. 722/7 तादादी 3.1489 हैक्टेयर भूमि रोही खण्डवा पट्टा चूरू प्रार्थी की खातेदारी वा कब्जा काश्त की है। प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र हाजा के साथ पेश है। प्रार्थी के खेत के चिपते ही दक्षिणी तरफ खेत ख.नं. 114 रोही खण्डवा पट्टा चूरू में स्थित है उक्त भूमि को अप्रार्थी सं. 1 से 4 काश्त करते है तथा अप्रार्थी सं. 1 से 4 के सह खातेदारी वा कब्जा काश्त की भूमि है। प्रार्थी के खेत की दक्षिणी सींव का अंकन स्पष्ट नहीं है जिससे प्रार्थी वा अप्रार्थी के बीच सीमा को लेकर तनाजा रहता है जिससे अप्रार्थीगण प्रार्थी के खेत सींव को काट कर अपने खेत की सीमा को बढा लेते हैं तथा काश्त के मौसम में नाहक ही मुझ प्रार्थी के साथ अप्रार्थीगण तनाजा वा झगड़ा फसाद करते रहते हैं। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार, चूरू के समक्ष भी सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का मौके पर गये तथा सीमांकन कराना चाहा व निशानदेही करनी चाही परन्तु अप्रार्थीगण का झगड़ालू स्वभाव होने से उन्होंने उक्त निशानदेही मानने से इन्कार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:40:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

हो गये। इस प्रकार से दोनों खेतों के मध्य पुख्ता सींव नहीं होने से सीमा को लेकर झगड़ा फसाद एवं तनाव रहता है। इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि अपने खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का पुख्ता सीमांकन करवाया जाकर पत्थरगढी करवायी जावे जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी प्रकार से अप्रार्थी सं. 5 रेवन्ताराम प्रार्थी के खेत के पूर्वी तरफ लगती सीमा के चिपते खेत ख.नं. 8 रोही खण्डवा पट्टा चूरू का सह खातेदार है व काश्त करता आ रहा है व इसी प्रकार से अप्रार्थी सं. 6 चिमनाराम पुत्र केशराराम प्रार्थी के खेत के पश्चिमी तरफ स्थित खेत ख.नं. 723/7 का एकमात्र खातेदार है तथा वादी/प्रार्थी के परिवार का ही सदस्य है तथा इसी प्रकार से अप्रार्थी सं. 7 आशाराम पुत्र केशराराम प्रार्थी के खेत के उत्तरी तरफ स्थित खेत ख.नं. 721/7 का एकमात्र खातेदार है तथा वादी के परिवार का ही सदस्य है। उक्त खेतों की सीमा भी प्रार्थी के खेत से लगती है तथा उक्त सीमाएं भी मौके पर स्पष्ट अंकन नहीं हैं। इसलिए प्रार्थी का भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ काश्त के समय मनमुटाव सीमा को लेकर बना रहता है। चूंकि प्रार्थी शान्तिप्रिय व्यक्ति है जो विधिवत रूप से अपने खातेदारी की कृषि भूमि की नियमानुसार सीमांकन करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है ताकि भविष्य में उक्त खेत के पड़ौसियों के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव ना हो। इसलिए प्रार्थी द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अदालतवाला में प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थी सं. 1 से 7 प्रार्थी के खेत के सीमा पड़ौसी हैं और भविष्य में सीमा को लेकर कोई विवाद ना रहे इसलिए अप्रार्थीगण को इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। पत्थरगढी व निशानदेही में लगने वाला खर्चा प्रार्थी वहन करने को तैयार है तथा अदालतवाला को इस प्रार्थना पत्र के सुनवाई के अधिकार प्राप्त हैं। पत्थरगढी तहसीलदार साहब चूरू के माध्यम से अनुभवी पटवारी व गिरदावर की टीम गठित की जाकर करवाई जानी आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं खेत ख.नं. 722/7 तादादी 3.1489 हैक्टेयर भूमि रोही खण्डवा पट्टा चूरू तहसील चूरू की अप्रार्थी सं. 8 से टीम गठित करवाई जाकर नपती करवाई जाकर इस खेत में पुख्ता पत्थरगढी व सीमांकन करवाया जावे।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिए सम्मन तलबी की गई जिस पर दिनांक 19.08.20 को श्री ललित गौतम एडवोकेट ने अप्रार्थी सं. 4 की ओर से वकालतनामा व 1 से 3 की ओर से अण्डरटेकिंग पेश की। अप्रार्थी सं. 5 से 7 के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 1 [illegible] की ओर से वकालतनामा एवं 1 से 4 की ओर से जवाब हेतु वकील अप्रार्थीगण ने समय चाहा। वकील अप्रार्थी[illegible] इस हेतु असीमित अवसर प्रदान किये गये परन्तु अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से [illegible] किया एवं न ही जवाब पेश किया जिस पर अन्ततः दिनांक 23.12.[illegible] से 4 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। समस्त अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय कार्यवाही ह[illegible] पर वकील प्रार्थी ने बहस का निवेदन किया जिस पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:20:52 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेतों के बीच में पुख्ता सीमा चिन्ह नहीं होने से हर साल सींव काट कर अप्रार्थीगण आगे की तरफ बढते हुए प्रार्थी की कृषि भूमि को नाजायज रूप से दबाते जा रहे हैं। इसलिए प्रार्थी के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह अपने खातेदारी की कृषि भूमि का सीमा ज्ञान कर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करवा लेवे ताकि उसकी कृषि भूमि सुरक्षित रह सके तथा भविष्य में कोई सीमा सम्बन्धी विवाद नहीं हो जबकि अप्रार्थीगण ऐसा नहीं चाहते। अप्रार्थी सं. 1 से 4 उपस्थित आये हैं परन्तु जवाब पेश नहीं करके मात्र प्रकरण को देरीना किया है तथा अप्रार्थी सं. 5 से 7 विधिवत तामील के बावजूद भी उपस्थित नहीं आये हैं जिससे इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। प्रार्थी प्रश्नगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिए उसे अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने का अधिकार है। प्रार्थी सीमाज्ञान व पत्थरगढी का खर्चा नियमानुसार वहन करने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विशेषज्ञ पटवारी व गिरदावर की टीम गठित कर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी को सुना जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 ग्राम खण्डवा पट्टा चूरू के खाता सं. 343 ख.नं. 722/7 तादादी 3.1489 हैक्टेयर के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह कृषि भूमि प्रार्थी की एकल खातेदारी की है तथा ख.नं. 721/7 अप्रार्थी सं. 7 की खातेदारी, ख.नं. 723/7 अप्रार्थी सं. 6 की खातेदारी के हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 खाता सं. 18 ख.नं. 114, 2, 49, 77 कुल तादादी 24.9641 हैक्टेयर रोही ग्राम रिबिया के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत कृषि भूमियां अप्रार्थी सं. 1 से 4 की खातेदारी भूमियां हैं जिनमें से ख.नं. 114 की उतरी सीमा प्रार्थी के खेत ख.नं. 722/7 की दक्षिणी सीमा के चिपती हुई होने का उल्लेख प्रार्थना पत्र में किया गया है तथा ख.नं. 8 अप्रार्थी सं. 5 की खातेदारी का है। संलग्न नकल नक्शा ख.नं. 721/7, 722/7, 723/7 ग्राम खण्डवा पट्टा चूरू एवं ख.नं. 114 व 8 ग्राम रिबिया के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 से 7 के खेत आपस में चिपते हुए स्थित हैं एवं एक दूसरे के पड़ौसी खातेदार हैं। छाया प्रति रास्ता विवाद फर्द मौका पटवारी, प.मं. खण्डवा पट्टा चूरू व पटवारी, प.मं. खण्डवा पट्टा पीथीसर दिनांक 08.07.2020 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि खसरा संख्या 722/7 रोही खण्डवा पट्टा चूरू एवं खसरा संख्या 2 व 114 रोही ग्राम रिबिया के खातेदारों के मध्य खेत की सीमा को लेकर विवाद है। प्रार्थी ने इसी सीमा विवाद के स्थायी समाधान के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने अपने खेत के चारों तरफ के पड़ौसी खातेदारों को पक्षकार अप्रार्थी सं. 1 से 7 तक बनाया है जिनमें से अप्रार्थी सं. 1 से 4 जिनके साथ मूल रूप से सीमा विवाद है, उपस्थित अवश्य आये हैं परन्तु विरोध में कोई जवाब या आपत्ति पेश नहीं की है जिसके लिए उन्हें असीमित अवसर दिये गये हैं। अप्रार्थी सं. 5 से 7 तामील के बावजूद उपस्थित नहीं आये हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:20:52 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत कृषि भूमि ख.नं. 722/7 तादादी 3.1489 हैक्टेयर रोही ग्राम खण्डवा पट्टा चूरू प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 4 के खेतों के मध्य स्थित सीमा को लेकर आपस में विवाद है। इसलिए

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उक्त सीमा विवाद के स्थायी समाधान के लिए व प्रार्थी के खेत के अन्य पड़ौसी खातेदारों के साथ भी खेतों की सीमा को लेकर भविष्य में कोई विवाद ना हो तथा अपने खेत की सीमाओं की सुरक्षा हेतु प्रार्थी विधिवत सीमा ज्ञान कर पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। वर्तमान में खेतों की सींव को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 4 के मध्य आपस में झगड़े होते रहने से प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र के विरोध में अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तोवज पेश नहीं किया गया है जिससे प्रार्थी को उसकी खातेदारी कृषि भूमि का सीमा ज्ञान व पत्थरगढी करवाया जाना उचित नहीं हो। प्रार्थी इस वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होने से नियमानुसार अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का खर्चा वहन करने हेतु तैयार है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार चूरू रोही ग्राम खण्डवा पट्टा चूरू तहसील चूरू में प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 722/7 तादादी 3.1489 हैक्टेयर व अप्रार्थी सं. 1 से 7 के खातेदारी खेत ख.नं. 721/7, 723/7, 8 रोही ग्राम खण्डवा पट्टा चूरू एवं ख.नं. 2, 114 रोही ग्राम रिबिया के मध्य स्थित सीमा की नपती एवं सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारीगण एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में विधिवत सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करावें।

आदेश आज दिनांक 21.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:20:52 IST
Reason: SelfAttested